जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' (DWSM) समिति की दिनांक 21.08.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शास0सं095 / छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल / 2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211 / 38–5–2010–20 स्वजल / 2010 (टी0सी0–3), दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ''जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन'' समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
2. जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पीलीभीत।
4. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पीलीभीत।
5. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, पीलीभीत।
8. जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, पीलीभीत।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत।
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, पीलीभीत।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0जल निगम, पीलीभीत।

1. अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद–पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में **''जल जीवन मिशन''** कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित फर्म मै0 पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक प्रा0लि0– एस0पी0एम0एल0 ज्वांटट वैनचर, आगरा को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, पीलीभीत द्वारा 452 ग्राम पंचायतों के 881 राजस्व गामों की सूची आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी थी। फर्म द्वारा 65 ग्राम पंचायतों के 101 राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 समिति द्वारा अनुमोदन कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की गयी है। वर्तमान में फर्म द्वारा 42 ग्राम पंचायतों की पाइप पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें से 07 नग डी0पी0आर0 फर्म को संशोधन करने हेतु वापस की गयी है एव शासनादेश सं0 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर–1–2021–25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 के क्रम में शेष 35 नग डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु संस्तुति कर अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, बरेली को प्रेषित की जा रही हैं। अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, बरेली एवं मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा तकनीकी स्वीकृति उपरान्त डी0पी0आर0 DWSM समिति के समक्ष वित्तीय एवं प्रसाशनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

2. मै0 पी0एन0सी0 इन्फाटेक प्रा0लि0–एस0पी0एम0 एल0 ज्वांइट वैन्चर, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले 01 सप्ताह में उनके द्वारा 08 नग डी0पी0आर0 तैयार कर प्रस्तुत किए गये है जिसपर अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, बरेली द्वारा कार्य की प्रगति पर असहमति व्यक्त करते हुए दिनांक 24.08.2021 तक जनपद की प्रगति को अन्तिम 20 जनपद से बाहर लाने के निर्देश दिये गये। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गये कि संसाधनों को बढ़ाते हुए कम से कम 30 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत करें एवं दिनांक 24.08.2021 तक लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को फर्म की असंतोषजनक प्रगति से अवगत कराते हुए कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।

(कार्यवाही – मै0पी0एन0सी0 इन्फाटेक प्रा0लि0–एस0पी0एम0एल0 ज्वांइट वैन्चर, आगरा)

3. अधिशासी अभियन्ता जल निगम पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि 100 दिन कार्यक्रम के अन्तर्गत UPPCL द्वारा कराये गये कार्यो को अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को जॉच हेतु सूची पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत द्वारा जॉच आख्या प्रेषित की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पीलीभीत को दिनांक 25.08.2021 को UPPCL के परियोजना प्रबन्धक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, पीलीभीत के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही – अधिशासी अभियन्ता जल निगम पीलीभीत)

4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत 15 नग योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान तक प्रस्तावित 15835 नग हाउस कनेक्शन के सापेक्ष 11675 नग हाउस कनेक्शन कराये जा चुके है एवं 15 नग में से 03 नग योजनायें पूर्ण की जा चुकी है। ग्राम वासियों द्वारा कनेक्शन लेने में रूचि न लिये जाने के कारण योजनाओं को पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव की बैठक कराने के निर्देश दिये गये।

(पुलकित खरे)
जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

कार्यालय जिलाधिकारी, पीलीभीत।

पत्रॉक 1724/ बैठक कार्यवाही/2020–21/68 दिनांक 27.08.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, बरेली।
5. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
6. जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0जल निगम, पीलीभीत।
8. मै0 पी0एन0सी0 इन्फाटेक प्रा0लि0–एस0पी0एम0एल0 ज्वांइट वैन्चर, आगरा।

जिलाधिकारी,
पीलीभीत।

27/8/21.

P.N.New/670